5001/1070×1(15)G-22-B5(2022)/9112

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
दूरभाष न0– 0135–2662021, फैक्स न0– 0135–2662180
ईमेल : secy-uic@gov.in वैब http://uic.gov.in

पत्रांक 8388 / उ0सू0आ0 / 2021–22 दिनांक 11/5/ 2022

सेवा में,

सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय :– विभागों में नामित लोक सूचना अधिकारी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अवगत कराना है कि कतिपय विभागों के लोक प्राधिकारियों के द्वारा मिनिस्टीरियल / अराजपत्रित कर्मचारियों को लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है। मिनिस्टीरियल / अराजपत्रित कर्मचारियों को लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाने के कारण द्वितीय अपील / शिकायत की सुनवाई के समय वे मा0 आयोग का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं, जिस कारण द्वितीय अपीलों / शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

इस संदर्भ में मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय ने आपसे यह अनुरोध करने के निर्देश हुए हैं कि ऐसे कार्यालयों में जहाँ राजपत्रित अधिकारी कार्यरत हैं वहाँ राजपत्रित अधिकारी को ही लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया जाए। कृपया इस संदर्भ में अपने स्तर से समस्त विभागों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव